भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3730

जिसका उत्तर 11 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है।

20 अग्रहायण, 1941 (शक)

राष्ट्रीय साइबर अपराध केन्द्र

3730. श्री दीपक (देव) अधिकारी :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय साइबर अपराध केन्द्र की स्थापना का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) राष्ट्रीय साइबर अपराध केन्द्र की स्थापना का उद्देश्य क्या है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री संजय धोत्रे)

(क) से (ग) : भारतीय संविधान के अनुसार 'पुलिस' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी कानून प्रवर्तन मशीनरी के जरिए अपराधों की रोकथाम करने, पता लगाने, छानबीन करने और अभियोजन के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं। तथापि, गृह मंत्रालय (एमएचए) विभिन्न योजनाओं और परामर्शी निदेशों के जरिए राज्य सरकारों की पहलों का समर्थन करता है।

एमएचए ने वर्ष 2018 से 2020 की अवधि के लिए 'भारतीय साइबर अपराध समन्वयक केंद्र' नामक एक योजना कार्यान्वित की है। आई4सी योजना का मुख्य उद्देश्य देश में साइबर अपराधों से संबंधित मुद्दों का निपटान करने के लिए प्रभावकारी उपकरण के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना करना है। आई4सी का लक्ष्य विभिन्न एजेंसियों और एलईए के बीच समन्वय की स्थिति सुधारने तथा कानून प्रर्वतन एजेंसियों (एलईए) की क्षमता को सुदृढ़ करना है।
आई4सी में सात घटक शामिल हैं, जो निम्नानुसार हैं :

(i) राष्ट्रीय साइबर अपराध खतरा विश्लेषण यूनिट (टीएयू)
(ii) राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल
(iii) साइबर अपराध पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन यूनिट
(iv) राष्ट्रीय साइबर अपराध न्यायविज्ञान प्रयोगशाला पारिस्थितिकी तंत्र
(v) राष्ट्रीय साइबर अपराध खतरा प्रशिक्षण केंद्र
(vi) राष्ट्रीय साइबर अनुसंधान और नवोद्भव केंद्र
(vii) संयुक्त साइबर अपराध जांच दल के लिए प्लेटफॉर्म

******